हीरा लाल हरिजन बनाम
क्र० १५ ए 37/22

5

क्रम	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] 2016 [illegible] रोडर [illegible] 17-5-16 लोक अदालत [illegible] (मेरठ)	
18-5-16	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत [illegible] - न्याय अन्तर्गत वर्ष 2016 के मध्य मूल में प्रस्तुत हुई / पक्षकारान के मध्य समझौता होना तथा खारिज हो चुका है अब इस पत्रावली में अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः दिनांक 27.2.13 को जारी अंतरिम आदेश निरस्त करते खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (कृष्ण चंद्र खण्डेलवाल) बेंच सदस्य ([illegible])	हीरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner